(केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए)

संसद में विपक्षी नेता

वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977

और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम

(18 दिसम्बर, **2002** तक यथासंशोधित)

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली

दिसम्बर, **2002**

विषय सूची

1. संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977

2. संसद में विपक्षी नेता (भत्ते, चिकित्सीय और अन्य सुविधा) नियम, 1977

3. संसद में विपक्षी नेता (मोटर-कार के लिए अग्रिम) नियम, 1991

संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता आधिनियम, 1977

(1977 का अधिनियम संख्यांक **33)**

1नवम्बर**, 1977**

(**1985** के संख्या **78, 1991** के संख्या **7** एवम् **2002** के संख्या **29** और **56** अधिनियमों द्वारा यथासंशोधित)

संसद में विपक्षी नेताओं के वेतन और भत्तों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठाइसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्तलिखित रूप में यह अधिनियम हो:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - **(1)** इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 है।

[1](2) यह उस तारीख को प्रवृत होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषा -** इस अधिनियम में संसद में किसी सदन के सम्बन्ध में "विपक्षी नेता" से, यथास्थिति, राज्य सभा या लोक सभा का वह सदस्य अभिप्रेत है जो सरकार के विपक्ष में सबसे अधिक संख्या वाले दल का उस सदन में उस समय नेता है और जिसे, यथास्थिति, राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा उस रूप में मान्यता दी गई है।

स्पष्टीकरण - जहां राज्य सभा या लोक सभा में सरकार के विपक्ष में दो या दो से अधिक ऐसे दल है जिनकी संख्या एक समान है वहां, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष ऐसे दलों की प्रास्थिति का ध्यान रखते हुए उन दलों के नेताओं में से किसी एक को विपक्षी नेता के रूप में इस धारा के प्रयोजनों के लिए मान्यता देगा और ऐसी मान्यता अन्तिम तथा निश्चायक होंगी।

[2][1]**3 वेतन तथा दैनिक, निर्वाचन-क्षेत्र और संपचुअरी भत्ते** - (1) प्रत्येक विपक्षी नेता, जब तक वह ऐसे नेता के रूप में बना रहता है, प्रतिमास वेतन और प्रत्येक दिन के लिए भत्ता उन्हीं दरों पर प्राप्त करने का हकदार होगा, जो संसद सदस्यों की बाबत संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 3 में विनिर्दिष्ट है।

(2) प्रत्येक विपक्षी नेता निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता भी उसी दर पर प्राप्त करने का हकदार होगा, जो संसद संदस्यों की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन विनिर्दिष्ट है।

(3) प्रत्येक विपक्षी नेता को प्रतिमास एक हजार रूपये संपचुअरी भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

---

[1] भारत के राजपत्र असाधरण भाग ।। - खण्ड 3 - उपखण्ड (1) दिनांक 1.11.1977 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या फा. 12(1)/77 - आर एण्ड सी दिनांक 1.11.1977 द्वारा 1.11.1977 से प्रवृत हुआ।

[2] 26.12.1985 से प्रवृत 1985 का अधिनिया संख्या 78 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] परन्तु 17 सितंबर 2001 से ही संमचुअरी भत्ता प्रप्येक विपक्षी नेता को उसी दर पर संदत्त किया जाएगा जिस पर संमचुअरी भत्ता मंत्रियों के संबलमों और भत्तो से संबंधित, 1952 की धारा 5 के अधीन प्रत्येक अन्य मंत्री को जो मंत्रिमंडल का सदस्य है, संदेय है।"

4. विपक्षी नेताओं के लिए निवास स्थान - (1) प्रत्येक विपक्षी नेता, जब तक वह ऐसे नेता के रूप में बना रहता है और उसके ठीक पश्चात् एक मास की अवधि तक, किराया दिए बिना सुसज्जित निवास स्थान का उपयोग करने का हकदार होगा और ऐसे निवास स्थान के अनुरक्षण के बारे में कोई प्रभार उस विपक्षी नेता पर वैयक्तिक रूप में नहीं पड़ेगा।

(2) विपक्षी नेता की मृत्यु हो जाने पर उनका कुटुम्ब इस बात का हकदार होगा कि उस सुसज्जित निवास स्थान का, जो उस नेता के अधिभोग में था, -

(क) उसकी मृत्यु के ठीक पश्चात् एक मास की अवधि के लिए, किराया दिए बिना, उपयोग करे और ऐसे निवास स्थान के अनुरक्षण के बारे में कोई प्रभार उसके कुटुम्ब पर नही पड़ेगा; तथा

(ख) एक मास की अतिरिक्त अवधि के लिऐ ऐसी दरों पर किराया देकर उपयोग करें जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं और ऐसी अतिरिक्त अवधि के दौरान उस निवास स्थान में इस्तेमाल की गई बिजली और जल के लिए प्रभार भी दें।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए "निवास स्थान" के अन्तर्गत् कर्मचारिवृन्द के क्वार्टर और उनसे अनुलग्न कोई भवन तथा उद्यान भी हैं और निवास स्थान के संबंध में अनुरक्षण के अन्तर्गत् रेटों और करों का संदाय तथा बिजली और पानी की व्यवस्था भी है।

5. विपक्षी नेताओं को यात्रा और दैतिक भत्ते - [4](1) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, विपक्षी नेता, -

(क) अपने तथा अपने कुटुम्ब के सदस्यों के लिए अपनी तथा अपने कुटुम्ब की चीजबस्त के परिवहन के लिए -

(1) उस यात्रा के बारे में, जो वह पद ग्रहण के लिए दिल्ली के बाहर अपने प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली तक करें और

(2) उस यात्रा के बारे में, जो वह पद मुक्त होने पर दिल्ली के बाहर अपने प्रायिक निवास स्थान तक करे,

यात्रा भत्ते का हकदार होगा, और

(ख) विपक्षी नेता के रूप में अपने कतव्यों के निर्वहन में अपने द्वारा किए गए दौरों के बारे में, चाहे वे समुंद्र, भूमि या वायुमार्ग द्वारा किए जाएं, यात्रा और दैनिक भत्ते और दैनिक भत्ते पाने का हकदार होगा ।

[5](2) संसद अधिकारी तथा संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रांरम्भ से ही, संसद में विपक्षी नेता और उसका कुटुम्ब, चाहे वे साथ में यात्रा कर रहे हों या अलग से, यात्रा भत्ता

---

[3] 17.09.2001 से प्रवृत 2002 का अधिनियम संख्या 29 द्वारा अंत: स्थापित।

[4] 1985 के उक्त अधिनियम द्वारापुन: संख्यांकित ।

[5] 17.09.2001 के प्रवृत 2002 के अधिनियम 56 द्वारा प्रतिस्थापित।

उन्हीं दरों पर प्राप्त करने और उतनी ही वापसी यात्राओं के हकदार होंगे, जिन दरों पर और जितनी यात्राएं मंत्रियों के संबलमों और भत्तो से संबंधित अधिनियम, 1952 की धारा 6 की उपधारा (1क) के अधीन किसी मंत्री और उसके कुटुंब को अनुज्ञेय है।"

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "वापसी यात्रा" से एक स्थान से दूसरे स्थान को यात्रा और ऐसे दूसरे स्थान से प्रथम वार्णित स्थान को वापसी यात्रा अभिप्रेत हैं ।

6. **विपक्षी नेताओं का चिकित्सीय उपचार आदि -** केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, विपक्षी नेता और उसके कुटुम्ब के सदस्य सरकार द्वारा अनुरक्षित अस्पतालों में मुफ्त वास-सुविधा और चिकित्सा उपचार के भी हकदार होंगे।

7. **विपक्षी नेताओं द्वारा संसद सदस्य के रूप में वेतन और भत्तों का न लिया जाना** - इस अधिनियम के अधीन वेतन या भत्ते प्राप्त करने वाला कोई विपक्षी नेता संसद के किसी सदन की अपनी सदस्यता के बारे में वेतन या भत्ते के रूप में कोई धनराशी संसद द्वारा उपबन्धित निधियों में से प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

8. **विपक्षी नेताओं को सुविधाएं** - (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक विपक्षी नेता टेलीफोन और सचिवीय सुविधांए प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2)केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक विपक्षी नेता [6]"तीन हजार रूपये" प्रतिमास सवारी भत्ता पाने का हकदार होगा।

[7]"परन्तु जहां विपक्षी नेता किसी अवधि मे सुरक्षा के प्रयोजन के लिए या अन्यथा डाईवर सहित सवारी की सुविधा दी जाती है वहां वह उस अवधि के लिए सवारी भत्ते का हकदार नहीं होगा।

8. क **मोटर-कार खरीदने के लिए विपक्षी नेता को अधिदाय -** विपक्षी नेता को मोटर-कार खरीदने के लिए, प्रतिसंदेय अधिदाय के तौर पर, ऐसी धनराशि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, संदत्त की जा सकेगी, जिससे कि वह अपने पद के कर्तव्यों का सुविधानुसार तथा दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सकें।

9. **विपक्षी नेता होने या न रहने की तारीख के बारे में अधिसूचना उसकी निश्चायक साक्ष्य होगी -** वह तारीख, जिसको कोई व्यक्ति विपक्षी नेता बना हो या जिस तारीख को उसका विपक्षी नेता रहना समाप्त हो गया हो, राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और ऐसी कोई भी अधिसूचना इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए इस तथ्य की निश्चायक साक्ष्य होगी कि उस तारीख को वह विपक्षी नेता बना था या उसका विपक्षी नेता रहना समाप्त हो गया था।

[8]»9Ûú **किसी विपक्षी नेता द्वारा प्राप्त कुछ परिलब्धियों पर आय-कर के संदाय के दायित्व से छुट -** आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में किसी बात के होते हुए भी धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन

---

[6] 1.10.1990 से प्रवृत 1991 के अधिनियम 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[7] 1991 के उक्त अधिनियम संख्या 7 द्वारा अन्त: स्थापित।

[8] 26.12.1985 से प्रवृत 1985 के अधिनियम संख्या 78 द्वारा अन्त:स्थापित ।

किसी विपक्षी नेता को दिए गए किराया दिए बिना सुसज्जित निवास-स्थान का मूल्य (जिसके अन्तर्गत उसका रखरखाव भी है) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 15 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य उसकी आय की संगणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

10. **नियम बनाने की शक्ति -** (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपलब्ध कर सकेंगे, अर्थात्

(क) ऐसे विपक्षी नेता के, जिसकी मृत्यु हो गई है, कुटुम्ब द्वारा उस सुसज्जित निवास स्थान के उपयोग के लिए जो उस नेता के अधिभोग में था, धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन संदेय किराये की दरें,

(ख) विपक्षी नेता को धारा 5 के अधीन अनज्ञेय यात्रा और दैनिक भत्ते,

(ग) विपक्षी नेता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों को धारा 6 के अधीन अनãज्ञेय चिकित्सीय उपचार,

(घ) विपक्षी नेता को धारा 8 के अधीन अनुज्ञेय टेलीफोन और सचिवीय सुविधाएं और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए वह सवारी भत्ते का हकदार होगा,

[9](ड.) धारा 8क के अधीन विपक्षी नेता को संदेय अधिदाय।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन के अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी... यदि उस सत्र के या पूवोर्क्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवतिर्त रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाऐगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(11) **1954** के अधिनियम **30** का संशोधन **-** संसद सदस्य वेतन**,** भत्ता और पेंशन अधिनियम**, 1954** में**, -**

(i) धारा 2 खण्ड (ख) में,-

(क) उपखण्ड (i) के अन्त वाले "और" शब्द को लोप किया जाएगा,

(ख) उपखण्ड (i) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्त: स्थापित किया जाएगा,

"(ii) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 में यथापरिभाषित विपक्षी नेता नहीं है; "

(ग) विद्यमान उपखण्ड (ii) को उपखण्ड (iii) के रूप में पुन: संख्याकित किया जाएगा;

(ii) धारा 6 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में "यथापरिभाषित मंत्री" शब्दों के पश्चात् "संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 मे यथापरिभाषित विपक्षी नेता" शब्द और अंक अन्त: स्थापित किए जाएगें;

(iii) धारा 8 क की उपधारा (4) में, "दोनों के रूप में, सेवा की है" शब्दो के स्थान पर "संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 मे यथापररिभाषित विपक्षी नेता के रूप या ऐसी सभी हसियतों में या उनमें से किन्ही दो हैसियतों में सेवा की है" शब्द ओर अंक रखे जाएंगें ।

---

[9] 1991 के उक्त अधिनियम 7 द्वारा अन्त : स्थापित ।

12. **1959** के अधिनियम **10** का संशोधन -संसद (निर्रहता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के -

(i) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(कक) संसद में विपक्षी नेता का पद; "

(ii) अन्त में स्पटीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्तलिखित स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

स्पष्टीकरण 2 - खण्ड (कक) "विपक्षी नेता" पद का वही अर्थ होगा जो उसका संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 में है।

[1] संसद मे विपक्षी नेता (भत्ते, चिकित्सीय और अन्य सुविधा) नियम, 1977

सां**0** का**0,** नि**0 665 (**अ) **-** केन्द्रीय सरकार, संसद में विपक्षी नेता और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33) की धारा 10 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अथार्त:-

1. **संक्षिप्त नाम** - इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद में विपक्षी नेता (भत्ते, चिकित्सीय और अन्य सुविधा) नियम, 1977 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषाएं -** इन नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्व न हो:-

(i) "अधिनियम" से संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 (1977 का 33) अभिप्रेत है;

(ii) "वास्तविक यात्रा खर्च" से अभिप्रेत है विपक्षी नेता और उसके सेवकों की यात्रा का वास्तविक खर्च और इसमें उसके निजी सामान के परिवहन का खर्च सम्मिलित है, किन्तु होटल, यात्री - बंगलों या जलपान, अथवा भण्डार को लाने ले जाने, या सवारी सा ऐसी आनुषंगिक हानियों या व्ययों, जैसे क्राकरी का टुटना-फुटना, फर्नीचर की टूट-फूट और अतिरिक्त सेवकों के नियोजन के लिए प्रभार सम्मिलित नहीं है;

(iii) "कुटुम्ब" से प्रभिप्रेत है, नियम 16 के सम्बन्ध में के सिवास, विपक्षी नेता के साथ रहने वाली उसकी पत्नी और उसके साथ रहने वाली तथा पूर्णतया उस पर आाश्रित धर्मज सन्तान और सौतेली सन्तान।

स्पष्टीकरण 1 - इन नियमों के प्रयोजनार्थ कुटुम्ब में एक से अधिक पत्नी सम्मिलिनित नही है;

स्पष्टीकरण 2 - यदि विपक्षी नेता विवाहिता स्त्री है तो "कुटुम्ब" में उसके साथ रहने वाला और पूर्णतया उस पर आश्रित उसका पति सम्मिलित है;

(iv) "प्रथम श्रेणी का डिब्बा" से अभिप्रेत है दो बर्थ या चार बर्थ वाला प्रथम श्रेणी का डिब्बा या एक वातानुकूलित कुप या किसी वातानुकूलित दो टियर शयन - यान में चार बर्थ;

(v) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्व प्ररूप अभिप्रेत है;

(vi) "यात्रा भत्ता" से ऐसा भत्ता अभिप्रेत है जो उन व्ययों का , जो वह ऐसे नेता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में यात्रा करने में करता है, न कि व्यय जो व्यक्तिगत हित में या उस दल के हित में जिसका वह सदस्य है या विश्राम अथवा स्वास्थय सुधार के लिए की गई यात्राओं जैसे निजी प्रयोजन के लिए या दल की बैठको में उपस्थित होने के लिए या निर्वचन अभियान के लिए करे।

3. **निवास का आकार** - विपक्षी नेता को एक ऐसा निवास आबंटित किया जाऐगा जिसका मानक किराया, या यदि किराये पूल कर लिए गए है ता मूल नियम 45-क के उपबन्धों के अनुसरण में संगणित पूलित मानक किराया, यथासंभव, 650 रूपय प्रतिमास मे अधिक न हो।

4. **फर्नीचर और वैधुत साधित्र** - (1) अधिनियम की धारा 4 के अधीन आबंटित निवास में जिस फर्नीचर और जिन विधुत साधित्रों की किरायामुक्त व्यवस्था की गई है उन का मूल्य अडतीस हजार पांच सौ रूपय से अधिक नहीं होगा।

---

[1] भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2 – खण्ड (3) उपखण्ड (1) दिनांक 1.11.1977 में प्रकाशित ।

(2) ऐसे निवासों में जिस फर्नीचर या जिन वैधुत साधित्रों की उपनियम (i) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक मात्रा में व्यवस्था की गई है उनके लिए विपक्षी नेता उन दरों पर, जो सरकारी सेवकों को लागू है किराया देने, और साथ ही विभागीय प्रभारों का संदाय करने का दायी होगा।

5.विपक्षी नेता की मृत्यु के पश्चात् निवास के लिए कुटुम्ब द्वारा किराये का दिया जाना - जहां विपक्षी नेता की मृत्यु के पश्चात् उसका कुटुम्ब उस निवास को अधिभोग में रखे रखता है जो उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व उसके अधिभोग में था वहां इस अधिनियम की धारा की उपधारा (2) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अवधि की बाबत कुटुम्ब से किराया, मूल नियम 45-क के उपबन्धों के अनुसार, या यदि किरायों को पूल लिया गया है तो मूल नियम 45-क के अधीन पूलित मानक किराया लिया जाएगा।

6. **अधिक ठहरने की अवधि के लिए किराया** - जहां विपक्षी नेता, जब वह ऐसा नेता नहीं रह जाता तब, अधिनियम की धारा 4 में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् निवास को अधिभोग के में बनाए रखता है वहां, वह अधिक ठहरने की अवधि के लिए मूल नियम 45-ख् के उपबंधों के अनुसार संगणित किराया, पूरे पूरे विभागीय प्रभारों सहित, या यदि किरायों को पूल कर लिया गया है तो मूल नियम 45 - क के अधीन पूलित मानक किराया, इनमें से जो भी अधिक हो, देने का दायी होगा।

7. **फर्नीचर और फिटिंगो की तालिका** - विपक्षी नेता को आबंटित निवाय में दिए गए फर्नीचर, फिटिगों और वैद्युत साधित्रों की एक तालिका, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए अनुदेशों के अनुसार, तैयार की जाएगी और समय-समय पर सत्यापित की जाएगी।

8. **पद-ग्रहण और पद-त्याग के लिए यात्रा-भत्ता -** (1) विपक्षी नेता, अधिनियम की धारा 5 के खंड़ (क) के उपखंड (i) और (ii) के अधीन की गई यात्राओं के लिए, उसके मापमान के अनुसार यात्रा भत्ते का हकदार होगा जो प्रथम श्रेणी के केन्द्रीय सरकार के सेवकों को स्थानान्तरण पर तत्समय अनुज्ञेय हो किन्तु इस उपान्तरण के अधीन रहते हुए होगा कि रेल द्वारा की गई यात्राओं की बाबत विपक्षी नेता और उसके कुटुम्ब के सदस्य वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर सकेंगे।

(2) उपनियम (1) के अधीन यात्रा भत्ता लेने के स्थान पर विपक्षी नेता, अपने विकल्पानुसार, निम्नलिखित शर्तो पर रेल द्वारा यात्रा कर सकेगा :-

(क) ऐसा कोई स्थान, जिसे वह पद-ग्रहण करने के पश्चात् अध्यपेक्षा करके, आरक्षित कराने का हकदार होगा, यदि साध्य हो तो, उसकी सुपुर्दगी में दे दिया जाएगा;

(ख) आरक्षित स्थान का वहन-प्रभार सरकार द्वारा अदा किया जाएगा; और

(ग) विपक्षी नेता सरकार को उतना भाड़ा देगा, जितना उसने तब दिया होता जब स्थान आरक्षित न किया जाता, और इसके अतिरिक्त उस स्टेशन के, जहां से यात्रा आरम्भ होती है, स्टेशन मास्टर को, अपने साथ यात्रा करने वाले अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य का, चाहे वह उसके आरक्षित स्थान का उपयोग करे या न करें, भाड़ा नकद देगा। ऐसे सभी भाड़े सरकार के नाम जमा किए जाएगें।

9. **कर्तव्य पर रहने के समय यात्रा भत्ता** - विपक्षी नेता द्वारा ऐसे नेता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए दौरों के लिए -

(क) वह अध्यपेक्षा करके प्रथम श्रेणी का डिब्बा, अपने विकल्पानुसार, आरक्षित करा सकेगा, या प्रथम श्रेणी के डिब्बे में एक ही बर्थ लेकर यात्रा कर सकेगा।

(ख) वह नियमित विमान सेवा में विमान से यात्रा कर सकेगा और ऐसी यात्रा के लिए अपने द्वारा दिया गया विमान भाड़ा (सिवाए तब के जब भाड़ा सरकार द्वारा सीधे कम्पनी को दे दिया जाए) वसूल कर सकेगा;

(ग) (i) जब सरकारी परिवहन में या अनयथा, सड़क से या स्टीमर से यात्रा की जाए तब, वह अपने बिल के साथ प्ररूप-1 में प्रमाण-पत्र लगा कर अपना वास्तविक यात्रा व्यय वसूल कर सकेगा।

(ii) जब अपनी निजी कार में सड़क से यात्रा की जाए तब, वह उपखंड (1) से अधीन अनुज्ञेय वास्तविक यात्रा व्यय के बदले, अपने विकल्पानुसार, बत्तीस पैसे प्रति किलोमीटर की दर से मील-भत्ता ले सकेगा।

10. **अन्य व्यक्तियों और सेवकों का वाहन** - (1) विपक्षी नेता, जब वह ऐसे नेता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में यात्रा करे तब, बिना संदाय किए हुए, -

(क) प्रथम श्रेणी के डिब्बे में अपने साथ एक सम्बन्धी को ले जाने; और

(ख) दो निजी सेवकों के लिए स्थान प्राप्त करने, का हकदार है।

(2) विपक्षी नेता के साथ प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति जो उपनियम (1) में, उल्लिखित सम्बन्धी से भिन्न हो, यथास्थिति, प्रथम श्रेणी का टिकट, या, वालानुकूलित श्रेणी का टिकट खरीद कर रेलवे को प्रायिक भाड़ा अदा करेगा और ऐसे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में की गई यात्रा की बाबत यात्रा भत्ते के प्रत्येक बिल में विपक्षी नेता उन व्याक्यिों की, जिन्होंने उसके साथ यात्रा की हो, संख्या विनिर्दिष्ट करेगा और प्ररूप 2 में एक प्रमाणपत्र देगा।

(3) जब कभी विपक्षी नेता अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोई यात्रा करता है तब, वह अपने विकल्पानुसार, या तो अपने निजी सचिव को या वैयक्तिक सहायक के सरकार के व्यय पर अपने साथ ले जा सकेगा; परन्तु विपक्षी नेता के निजी सचिव या वैयक्तिक सहायक को, जब कभी विपक्षी नेता इसे पूणे रूप से अर्जेट और आवश्यक समझे तब, विमान द्वारा यात्रा करने के लिए अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

11. **दैनिक भत्ता** - (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विपक्षी नेता स्थान-स्थान पर ठहरने के कारण [2]भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय दर से दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा, परन्तु यह तब जब वह दौरे के प्रारम्भ से 24 घंटों के भीतर अपने मुख्यालय को न लौटे ।

स्पष्टीकरण 1 - इस उपनियम के अधीन अनुज्ञेय दैनिक भत्ते की गणना ठहरने की अवधि के आधार पर की जाएगी जो उस समय से आरम्भ होगी जब आगे की यात्रा ठहरने के वास्तविक स्थान पर समाप्त होती है और उस समय समाप्त होगी, जब वहां से वापसी की या आगे की यात्रा आरम्भ हो । ऐसी गणनाएं निम्न प्रकार से की जाएगी -

(1)	छह घंटे तक ठहरने के लिए	कुछ नहीं
(2)	छह घंटो से अधिक किन्तु 12 घंटो से अनाधिक तक ठहरने के लिए	आधा दैनिक भत्ता

[2] भारत के असाधरण राजपत्र भाग 2 - खण्ड 3 - उपखण्ड (1) दिनांक 15.5.1996 में प्रकाशित सा. का. नि. 211 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित (संसदीय कार्य मंत्रालय संख्या फा. 14(1)/96-डब्ल्यू. एस. दिनांक 14.5.1996)

(3)	12 घंटो से अधिक किन्तु 24 घंटो से अनाधिक तक ठहरने के लिए	पूरा दैनिक भत्ता
(4)	24 घंटो से अधिक ठहरने के लिए	प्रत्येक 24 घंटे तक ठहरने के लिए एक दैनिक भत्ता । 24 घंटों के किसी अंश के लिए, ठहरने की समाप्ति पर, दैनिका भत्ते की गणना, यथास्थिति, उपर्युक्त प्रविष्टि (1), (2) या (3) के अनुसार की जाएगी ।

स्पष्टीकरण 2 - यदि विपक्षी नेता अपने दौरे के दौरान एक से अधिक स्टेशनों पर ठहरता है तो प्रत्येक सतत ठहराव, इस उपनियम के अधीन, दैनिक भत्ते के लिए अलग-अलग अर्हक होगा, परन्तु एक ही दिन को विभिन्न स्टेशनों पर ठहरने के लिए कुल मिलाकर एक से अधिक दैनिक भत्तें की अनुज्ञेय नहीं दी जाएगी ।

(2) दस दिन से अधिक के दौरे पर प्रत्येक सतत ठहराव के लिए दैनिक भत्ता -

(i) प्रथम दस दिनों के लिए उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट दर से

(ii) बाद के बीस प्रथम दस दिनों के लिए उन दरों की तीन-चौथाई दर से और

(iii) तत्पश्चात उन दरों की आधी दर से, अनुज्ञात होगा।

टिप्पण - दौरे पर के ठहराव को सतत ठहराव के रूप में समझा जाएगा जब तक कि ठहरने के स्थान से 8 कि0 मी0 से अधिक की दूरी पर कम से कम सात निरन्तर रातों तक अनुपस्थिति के कारण ठहराव समाप्त न हो गया हो।

12. **राजकीय अतिथि के रूप में रहने पर भत्ता** - जब विपक्षी नेता को, ऐसे नेता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी स्थान पर जाने पर वहां ठहरने की अवधि के दौरान राजकीय अतिथि के रूप में माना गया हो और उसके लिए राज्य के व्यय पर नि:शुल्क भोजन और आवास की व्यवस्था की गई हो, तब यदि वह दैनिक भत्ता लेता है तो, उसे, इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम पूरे भत्ते के अधीन रहते हुए, अपने वास्तविक व्यय तक सीमित करेगा।

13. **भारत से बाहर की यात्रा** - (1) जहां विपक्षी नेता ऐसे विपक्षी नेता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भारत से बाहर की कोई यात्रा करता है। वहां, वह ऐसी यात्रा की बाबत निम्नलिखित यात्रा तथा अन्य भत्तों का हकदार होगा, अर्थात् :-

(क) (i)**यात्रा भत्ता** - विपक्षी नेता द्वारा भारत में की गई यात्रा के लिए यात्रा-भत्ता नियम 9 के अनुसार विनियमित होगा।

(ii) **मार्ग व्यय** - भारत से बाहर की गई यात्रा के लिए, भारत में स्थित अन्तिम विमानरोहण या पोतारोहण पतन से विदेश मे उसके गन्तव्य स्थान तक, और वहां से वापसी के लिए, वायु एवं रेल यात्राओं में प्रथम श्रेणी के वायु एवं रेल एवं समुद्र मार्ग के निशुल्क वापसी मार्ग व्यय (पैसेज) की, और समुद्र मार्ग से यात्रा करने में प्रथम श्रेणी-सी ग्रेड या किसी निम्नतर श्रेणी से, जिसमें विपक्षी नेता वस्तुत: यात्रा करता है, मार्ग - व्यय की व्यवस्था की जाएगी।

(iii) **सामान** - विपक्षी नेता अपने साथ 40 किलोग्राम से अधिक सामान, जिसमें विमान परिवहन कम्पनियों द्वारा अनुज्ञात नि:शुल्क ले जाए जाने वाला सामान सम्मिलित है, ले जा सकता है।

(ख) **दैनिक भत्ता** - (1) विदेश में अपने कार्य के सम्बंध में काम के स्थान पर बिताई गई रातों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार के वर्ग 1 के अधिकारी को यथा - अनुज्ञेय दैनिक भत्ता, समय समय पर विदेश मंत्रालय द्वारा विहित दरों के अनुसार, दिया जाएगा।

(ii) रेल से की गई यात्रा की अवधि के दौरान दैनिक भत्ते का दो-तिहाई भाग और दिया जाएगा परन्तु यह तब जबकि संदत रेल-भाड़े में भोजन-व्यय शामिल न हो।

(iii) विपक्षी नेता, भारत से बाहर बिताई गई अवधि के लिए, किसी अन्य नियम के अधीन अनज्ञेय दैनिक भत्तें का हकदार नहीं होगा।

(ग) **अन्य व्यय** - विपक्षी नेता निम्नलिखित का हकदार होगा -

(i) मार्ग में विवशत: ठहर जाने के कारण, जहां विमान कम्पनियां भोजन तथा आवास व्यवस्था नहीं करती, वहां, नि:शुल्क भोजन और आवास व्यय, जो ठहरने के स्थान पर अनुज्ञेय अधिकतम दैनिक भत्ते तक सीमित रहेगा;

(ii) पारपत्र फीस और चेचक तथा हैजे के टीके के प्रमाण- पत्र पर उपगत वास्तविक व्यय, रसीदें प्रस्तुत करने पर;

(iii) डयुटी पर उपगत आनुषगिक व्यय जैसे बख्शीस, टैक्सी-भाड़ा और कैब-भाड़ा, आवश्यक वाउचर प्रस्तुत करने पर;

परन्तु जहां उपगत वास्तविक या आनुषंगिक व्यय की रसीदें या वाउचर उपलब्ध न हों, वहां व्यय की प्रतिपूर्ति विपक्षी नेता के इस आशय के प्रमाणपत्र के आधार पर की जाएगी कि वह वस्तुत: किया गया था।

(2)विपक्षी नेता, जो उप-नियम (1) (ग) के अधीन वास्तविक या आनुषंगिक व्ययों का दावा करता है, प्ररूप 3 में प्रमाणपत्र देकर अपने दावे की पुष्टि करेगा।

14. **विपक्षी नेता की मृत्यु पर उसके कुटुम्ब द्वारा की गई यात्रा के लिए यात्रा-व्यय** - विपक्षी नेता की मृत्यु हो जाने पर, उसके कुटुम्ब के सदस्य दिल्ली से दिल्ली के बाहर के अपने सामान्य निवास स्थान तक की गई यात्रा के लिए उसी दर पर यात्रा-व्यय के हकदार होंगे जो प्रथम श्रेणी के केन्द्रीय सरकार के सेवक की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में तत्समय उसके कुटुम्ब को अनुज्ञेय है:

परन्तु यह तब जब विपक्षी नेता के कुटुम्ब द्वारा यात्रा उसकी मृत्यु से छह मास के भीतर की जाए।

15. **अग्रिम धन** - विपक्षी नेता निम्नलिखिित का हकदार होगा -

(क) (i) पद-भार ग्रहण करने के लिए दिल्ली के बाहर के अपने सामान्य निवास स्थान से, और

(ii) पद छोडने पर दिल्ली से, दिल्ली के बाहर के अपने सामान्य निवास स्थान तक अपनी यात्रा और अपने कुटुम्ब के सदस्यों की यात्रा के लिए यात्रा भत्तें का अग्रिम-धन और अपने कुटुम्ब की चीज-बस्त को भेजने के लिए व्यय का अग्रिम-धन ।

(ख) ऐसे नेता के रूप में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में किए गए दौरों के लिए यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का अग्रिम-धन ।

16. **चिकित्सीय परिचर्या और उपचार** - (1) विपक्षी नेता और उसके कुटुम्ब के सदस्य, अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1954 के अधीन अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों को लागू मापमान और शर्तो पर नि:शुल्क चिकित्सीय परिचर्या और उपचार की सुविधायें प्राप्त करने के हकदार होंगें ।

(2) जब विपक्षी नेता, ऐसे नेता के रूप में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में भारत से बाहर किसी देश को प्रस्थान करता है तब वह ऐसी चिकित्सीय परिचर्या और उपचार की सुविधायें नि:शुल्क पाने का हकदार होगा जैसी उस स्थान के भारतीय मिशन में प्रधान को अनुज्ञेय है ।

टिप्प्ण - इस नियम के प्रयोजन के लिए कुटुम्ब का वही अर्थ होगा जो सुसंगत चिकित्सीय परिचर्या नियमों में उसे दिया गया है ।

17. **टेलीफोन सुविधाएं -** [3](1) विपक्षी नेता, संसद सदन, नई दिल्ली के अपने कार्यालय में और नई दिल्ली/दिल्ली के अपने निवास स्थान पर टेलीफोन लगवाने और उसके अनुरक्षण का हकदार होगा। टेलीफोन के किराए अथवा विपक्षी नेता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपने द्वारा किए गए स्थानीय कालों और ट्रंक कालों के लिए उसके कोई प्रभार नहीं देने होंगे।

[4](2) (क) उपनियम (1) के उपंबधो पर, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विपक्षी नेता अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने प्रायिक निवास-स्थान पर या उसके द्वारा चयन किए गए ऐसे किसी स्थान पर, जो उस राज्य के भीतर, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है अथवा उस राज्य के भीतर जिसमें वह निवास करता है, स्थित हो, संसद के सदस्य के रूप में अपनी हैसियत में टेलीफोन कनेक्शन का हकदार होगा और उस टेलीफोन को लगवाने और उसके किराए के लिए उसे कोई प्रभार नहीं देने होंगे।

(ख) विपक्षी नेता को एक वर्ष में उपनियम (2) के खंड (क) के अधीन लगाए गए टेलीफोन से की गई प्रथम [5]"पचास हजार" स्थानीय कालों के संबंध में कोई संदाय नहीं करना होगा।

(ग) विपक्षी नेता को एक वर्ष में [5]"पचास हजार" स्थानीय कालों के धन तक ट्रंक काल बिलों को समायोजित करने की अनुज्ञा होगी:

परंतु जहां टेलीफोन सपाट दर एक्सचैंज में है वहां विपक्षी नेता को उस टेलीफोन से की गई कालों के लिए प्रभारों का 5"पच्चीस हजार" स्थानीय कालों के विस्तार तक समयोजन करने की अनुज्ञा होगी।

18. सचिवीय सहायता - (1) विपक्षी नेता निम्नलिखित सचिवीय सहायता पाने का हकदार होगा :-

[6]"(क)	निजी सचिव	1
(ख)	अपर निजी सचिव	2
(ग)	सहायक निजी सचिव	2
(ध)	प्रथम वैयक्तिक सहायक	1
(ड़)	द्वितीय वैयक्तिक सहायक	1
(च)	हिन्दी आशुलिपिक	1
(छ)	लिपिक	1

---

[3] भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2 - खण्ड 3 - उपखण्ड (i) दिनांक 17.8.1990 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 14(2)/89-डबल्यू एस. सा. का. नि. 715 (अ) द्वारा पुन: संख्यांकित)।

[4] उक्त सा. का. नि. 715 (अ) द्वारा अन्त : स्थापित।

[5] भारत के असाधारण राजपत्र भाग - 2, खण्ड - 3 उपखण्ड (i) दिनांक 23.02.1999 में प्रकाशित सा. का. नि. 87 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

[6] उक्त सा. का. नि. 715 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ज) जमादार 1

(झ) चपरासी 4

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित पदों की वही प्रास्थिति और वेतन होंगे जो केन्द्रीय सरकार के अधीन मंत्रिमंडल के मंत्री के वैयक्तिक कर्मचारीवृन्द के तत्समान पदों को लागू होते हैं।

[7]**18.**क **स्टाफ कार चालक -** (1) जहां विपक्षी नेता को किसी अवधि के लिए सुरक्षा के प्रयोजनों से या अन्यथा स्टाफ कार उपलब्ध कराई जाती है, वहां वह ऐसी अवधि के लिए किसी स्टाफ कार चालक के लिए भी हकदार होगा।

(2) स्टाफ कार चालक के पद की वही हैसियत और वेतनमान होगा जो केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी मंत्रिमंडल मंत्री मे निजी स्टाफ में तत्समान पद को लागू होता है।

[8]**18.**ख पदमुक्त होने के पश्चात् कर्मचारिवृन्द का बनाए रखना - विपक्षी नेता द्वारा पदत्याग कर दिए जाने पर नियम 18 के उपनियम (1) और नियम 18क में वर्णित पदों के सामने नियुक्त व्यक्ति पन्द्रह दिन से अनधिक कालावधि तक अपने पदों को धारण करते रहेंगे। तत्पश्चात् यदि पदावरोही विपक्षी नेता द्वारा अपेक्षित हो तो उपरोक्त वर्णित व्याक्तियों में से किन्ही दो को उसके पद का परिसमापन करने के लिए एक और पन्द्रह दिन तक बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

19. **सवारी भत्ता** - विपक्षी नेता को अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञय सवारी भत्ते का संदाय प्ररूप 4 में प्रमाण-पत्र पेश करने पर किया जाएगा।

20. **निर्वचन** - यदि इन नियमों के निर्वचन के बारे में कोई प्रश्न उठता है ता वह केन्द्रीय सरकार को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

प्ररूप **1**

[नियम **9** का खंड (ग) (।) देखिए]

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैने इस बिल की रकम का संदाय वास्तव में कर दिया है और यह कि इसमें मेरे वैयक्तिक सामान से भिन्न किसी सामग्री या माल के भाड़े संबंधी कोई प्रभार या जलपान, होटल या यात्री-बंगले के लिए कोई प्रभार सम्मिलित नहीं है।

---

[7] 1.10.1990 से प्रवृत आधिसूचना संख्या 14(2)/89, का.अ0 दिनांक 8.5.1991 भारत के असाधारण राजपत्र भाग ।। - खण्ड - 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 8.5.1991 में प्रकाशित सा.का.नि. 269 (अ) द्वारा अन्त:स्थापित ।

[8] अधिसूचना संख्या फा. 14(1)/91, का.अ. दिनांक 25.10.1991 भारत के असाधारण राजपत्र भाग ।। - खण्ड - 3 उपखण्ड (i) दिनांक 31.10.1991 में प्रकाशित सा.का.नि. 656 (अ) द्वारा अन्त:स्थापित ।

प्ररूप **2**

[नियम **10(2)]**

प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे साथ किसी व्यक्ति ने आरक्षित डिब्बे में यात्रा नही की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक ने मेरे साथ आरक्षित स्थान में यात्रा की है और उसने वस्तुत: उस श्रेणी का टिकट खरीदा जिसका वह हकदार है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे एक संबंधी ने जैसा कि प्राधिमृत है बिना कोई भाड़ा दिए हुए मेरे साथ आरक्षित स्थान मे यात्रा की है।

4. प्रमाणित किया जाता है कि-अतिरिक्त व्यक्ति/व्यक्तियों ने मेरे साथ आरक्षित स्थान में यात्रा की है और उन्होने आवश्यक प्रथम श्रेणी/वातानुकूलित श्रेणी के टिकट खरीदे थे।

(टिप्पण - जो पैरे लागू न हो उन्हें काट दे।)

प्ररूप **3**

[नियम **13]**

प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि पासपोर्ट फीस/हैजे के टीके और चेचक के टीके के प्रमाण-पत्र पर किए गए व्यय शिष्टमंडल के कार्य मे हित में थे और यह कि टैक्सी के किरायें आदि की दरें वर्तमान दरों के अनुसार है और इन मदों पर किया गया व्यय उचित था।
2. प्रमाणित किया जाता है कि बिल में सम्मिलित बख्शीश मदे किया गया व्यय वस्तुत: उपगत व्यय से अधिक नही है।

[9] प्ररूप **4**

[नियम **19]**

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैने विपक्षी नेता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में .. .. के मास के दौरान सवारी पर .. .. रू0 से अन्यून का व्यय उपगत किया है और साथ ही मुझे उक्त अवधि के दौरान सुरक्षा के कारणों से या अन्यथा स्टाफ कार उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

सं0 एफ0 14(2)/89 का. अ.

[9] उक्त सा.का.नि.269 (अ) दिंनाक 8.5.1991 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1] संसद में विपक्षी नेता (मोटरकार के लिए अग्रिम) नियम 1991

सा. का. नि. 270 (अ) :- केन्द्रीय सरकार संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977 की धारा 8क के साथ पठित धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विपक्षी नेताओं को मोटर कारें खरीदने के लिए अग्रिम की मंजूरी को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद में विपक्षी नेता (मोटर-कार के लिए अग्रिम) नियम 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख का प्रवक्त होंगे।

2. **अग्रिम की अधिकतम रकम** - वह अधिकतम रकम जो संसद में किसी विपक्षी नेता को मोटर कार खरीदने के लिए उधार दी जा सकेगी, [2]एक लाख रूपये या उस मोटर कार की, जिसे खरीदने का विचार है, वास्तविक कीमत से, इनमें से जो भी कम है, अधिक नहीं होगी।

3. **अग्रिम का प्रतिसंदाय** - (1) नियम 2 के अधीन दिए अग्रिम और उस पर ब्याज की वसूली संबंधित विपक्षी नेता के वेतन से, अधिक से अधिक साठ बराबर मासिक किस्तों में की जाएगी। किन्तु यदि अग्रिम लेने वाला विपक्षी नेता ऐसा चाहते है तो सरकार कम किस्तों में वसूली अनुज्ञात कर सकेगी। यह कटौती अग्रिम लेने के पश्चात् वेतन के पहले बिल से प्रारम्भ की जाएगी। अग्रिम पर उस दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जाएगा जो सरकारी सेवकों द्वारा वाहन खरीदने के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियत किया गया है।

स्पष्टीकरण - (1) मासिक किस्तों मे वसूल की जाने वाली अग्रिम की रकम पूरे-पूरे रूपयों में नियत की जाएगी सिवाय अन्तिम किस्त के जब शेष बकाया रकम जिसमें रूपय की भिन्न भी है, वसूल की जाए।

(2) यदि कोई विपक्षी नेता अग्रिम नेता का पूणत: प्रतिसंदाय किए जाने से पूर्व अपना पद छोड़ता है तो शेष बकाया राशि उस पर ब्याज सहित तुरन्त सरकार को एक मुश्त राशि में संदत की जाएगी।

4. **मोटर कार का विक्रय -** (1) उस दशा के सिवाय जब कोई विपक्षी नेता अपना पद छोड़ता है, विपक्षी नेता अग्रिम की सहायता से खरीदी गई मोटर कार के विक्रय के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी लेगा यदि ऐसा अग्रिम उस पर उद्भूत ब्याज सहित पूर्णत : प्रति संदत्त नहीं कर दिया गया है। यदि कोई विपक्षी नेता मोटर कार और उससे सम्बद्व दायित्व का अन्तरण किसी अन्य विपक्षी नेता को करना चाहता है, तो उसे ऐसा करने के लिए सरकार के आदेशों के अधीन अनुज्ञात किया जा सकेगा परन्तु यह तब जब खरीदने वाला विपक्षी नेता धोषण अभिलिखित करे कि उसे इस बात का पता है कि उसे अन्तरित मोटर कार सरकार के पास बंधक है और वह बंधक-पत्र के निबंधनों और उपंबधो से आबद्व है।

---

[1] भारत के असाधरण राजपत्र भाग ।। - खण्ड 3 - उपखण्ड (ii) दिनांक 8.5.1991 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या फा. 14(2)/89-का. अ-सा. का. नि. 270 (शुद्विपत्र-सा. का. नि. 347 (अ)दिनांक 19.7.1991

[2] भारत के असाधारण राजपत्र भाग ।। - खण्ड 3 - उपखण्ड (i) दिनांक 23.2.1999 में प्रकाशित सा. कां. नि. 133 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) उन सभी मामलो में जहां किसी मोटर कार का विक्रय अग्रिम और उस पर ब्याज का पूणत: प्रतिसंदाय किए जाने से पूर्व किया जाता है, वहां विक्रय आगम का उपयोग जहां तक आवश्यक हो, शेष बकाया रकम के प्रतिसंदाय के लिए किया जाना चाहिए:

परन्तु जब मोटर कार का विक्रय इस दृष्टि से किया जाता है कि दूसरी मोटर गाड़ी खरीदी जा सके तब सरकार विक्रय आगम का ऐसी खरीद के लिए उपयोग किए जाने के लिए विपक्षी नेता को निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए अनुज्ञा कर सकेगी, अर्थात्:-

(क) शेष बकाया रकम नई कार की लागत से अधिक नहीं होने दी जाएगी

(ख) शेष बकाया रकम का पूर्व नियात दर पर प्रतिसंदाय किया जाता रहेगा और

(ग) नई कार सरकार को बंधक की जाएगी और उसका बीमा भी करवाया जाएगा।

5. **अवधि जिसके भीतर कार खरीदने के लिए बातचीत पूरी की जा सकेगी** - अग्रिम लेकर मोटर कार खरीदने वाला विपक्षी नेता मोटर कार खरीदने की बातचीत की बातचीत पूरी करके उसका अन्तिम संदाय अग्रिम लेने की तारीख से एक मास के भीतर करेगा, ऐसी बातचीत पूरी करके संदाय करने में असफल रहने पर लिए गए अग्रिम की पूरी रकम उस पर एक मास के ब्याज सहित सरकार को वापस कर दी जाएगी किन्तु लेन देन पूरा करने को एक मास को अवधि में सरकार द्वारा विशेष मामलों में छूट दी जा सकेगी । जब किसी मोटर कार की खरीद करके उसका पूरा संदाय किया जा चुका हो तब मोटर कार की खरीद करने के लिए कोई अग्रिम अनुज्ञय नहीं होगा यदि संदाय भागरूप किया गया है तो अग्रिम दी जाने वाली बाकी रकम तक सीमित होगा जैसा विपक्षी नेता द्वारा प्रमाणित किया जाए।

6. **करार का निष्पादन** - अग्रिम लेते समय विपक्षी नेता प्ररूप 1 में एक करार निष्पादित करेगा और खरीद पूरी होने पर वह सब अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त मोटर कार सरकार को आडमान करते हुए प्ररूप 2 में एक बंधपत्र निष्पादित करेगा। मोटर कार की कीमत बंधपत्र के साथ संलग्न विनिर्देशों की अनुसूची में प्रविष्टि की जाएगी।

7. **लेखा अधिकारी का प्रमाणपत्र** - जब को अग्रिम लिया गया हो तब मंजूरी प्राधिकारी लेखा अधिकारी को इस आशय का एक प्रमाणपत्र भेजेगा कि अग्रिम लेने वाले विपक्षी नेता ने प्ररूप 1 में करार पर हस्ताक्षर कर दिए है और वह करार ठीक पाया गया है मंजुरी प्राधिकारी यह देखेगा कि मोटर कार की खरीद अग्रिम लेने की तारीख से एक मास के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो नियम 5 के अधीन लेन देन पूरा करने के लिए विशेष मामलो मे सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात की गई हो की जाती है और वह प्राधिकारी प्रत्येक बंधपत्र को अंतिम रूप से रिकार्ड किए जाने से पूर्व लेखा अधिकारी को उसकी परीक्षा के लिए तत्काल प्रस्तुत करेगा।

8. **सुरक्षित अभिरक्षा और बंधपत्र का रद्द किया जाना -** बंधपत्र मंजूरी प्राधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा जब अग्रिम और उस पर ब्याज का पूर्णत: संदाय कर दिया गया हो, तब अग्रिम और ब्याज के पूर्ण प्रतिसंदाय के बारे में लेखाअधिकारी से प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् बंधपत्र सम्यक्त: रद्द किया जा कर संबधित विपक्षी नेता को वापस कर दिया जाएगा ।

9. **मोटर कार का बीमा -** अग्रिम से खरीदी गई मोटर कार का अग्नि, चोरी या दुर्धटना से हानि के लिए पूरा बीमा कराया जाएगा। बीमा पालिसी में (प्ररूप 3 में रूप में) एक खंड होगा जिसके द्वारा बीमा कम्पनी मोटर कार की ऐसी हानि या नुकसान की बाबत, जिसकी प्रतिपूर्ति मरम्मत यथापूर्वककरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की जाती है, संदेय किन्ही राशियो का संदाय स्वामी को करने के बजाए सरकार को करने के लिए करार करती है।

प्ररूप **1**

[नियम **6]**

प्रमाण-पत्र

मोटर कार खरीदने के लिए अग्रिम लेते समय निष्पादित किए जाने वाले करार का प्ररूप।

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री .... जो संसद (लोकसभा/राज्य सभा में विपक्षी नेता है) जिसे इसमें इसके आगे उधार लेने वाला कहा गया है (और जिस पद के अन्तर्गत उसके विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति(जिन्हें इसमें इसके आगे केन्द्रीय सरकार कहा गया है) के बीच आज तारीख .. .. को किया गया।

उधार लेने वाले ने मोटर कार खरीदने के लिए संसद में विपक्षी नेता (मोटर कार के लिए अग्रिम) नियम, 1991 के अधीन .... रू (.. .. .रूपये) उधार दिए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है और केन्द्रीय सरकार उधार लेने वाले को उक्त रकम इसमें इसके आगे दिए गए निंबधनों और शर्तो पर देने के लिए सहमत हो गई है।

2.इसके पक्षकारों के बीच यह करार किया जाता है उधार लेने वाले को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई . . . . रू0 (. . . . . रूपये) की राशि (जिसके लिए उधार लेने वाला इसके द्वारा पावती देता है) के प्रति फलस्वरूप उधार लेने वाला केन्द्रीय सरकार के साथ यह करार करता है कि वह . . ..

(i)उक्तनियमों के अनुसार संगणित ब्याज सहित उक्त रकम का केन्द्रीय सरकार को संदाय अपनेवेतन में से प्रति मास कटौती कराके, जैसा कि उक्त नियमों द्वारा उपबंधित है, और ऐसी कटौतियां करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्राधिकृत करता है

(ii) इस विलेख की तारीख से एक मास के भीतर, उक्त उधार की पूरी रकम मोटर कार खरीदने में लगाएगा या यदि इसके द्वारा दी गई वास्तविक कीमत उधार की रकम से कम है तो शेष रकम केन्द्रीय सरकार को तुरन्त लौटा देगा, और

(iii)उधार लेने वाले को पूर्वोक्त रूप में उसे दी उधार की रकम और ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त मोटर कार का केन्द्रीय सरकार के पक्ष में आडमान रखने के लिए उक्तनियम द्वारा उपबंधित प्ररूप में दस्तावेत निष्पादित करेगा। अंत में यह करार किया जाता है और घोषण की जाती है कि यदि इस विलेख की तारीख से एक मास की भीतर मोटर कार खरीदी नहीं जाती है और आडमान नहीं रखी जाती है या यदि उधार लेने वाला उक्तअवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या अपना पद छोड़ देता है या अन्यथा विपक्षी नेता नहीं रहता है या मर जाता है तो उधार की पूरी रकम और उस पर प्रोदभूत ब्याज तुरन्त शोध्य और संदेय हो जाएगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप इस पर उपर लिखी तारीख को उधार लेने वाले ने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

उक्त श्री. . . . . .ने . . . .की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

प्ररूप।।

(नियम**6)**

मोटरयान के लिए अग्रिम बंधक पत्र का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री . . .. (जिसे इसमें इसके आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत उसके वारिस प्रशासक, निष्पादक और विधिक प्रतिनिधि भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "राष्ट्रपति" कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है) के बीच आज तारीख . . . . . को किया गया।

अधार लेने वाले ने एक मोटर यान खरीदने के लिए संसद में विपक्षी नेता (मोटर कार केलिए अग्रिम) नियम 1991 (जिन्हें इसमें इसके आगे "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 2 के निबंधनों पर . . . . रूपए के अग्रिम के लिए आवेदन किया है और वह मंजूर कर लिया गया है और उधार लेने वाले को उक्त उधार जिन शर्तो पर दिया गया है/दिया गया था उनमें से एक यह है कि उधार लेने वाले उसे उधार दी गई रकम के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त मोटर यान राष्ट्रपति को आडमान रखेगा और उधार लेने वाले ने पूर्वोक्त रूप में दिए उधार की रकम से या उसके भाग से मोटर यान जिसकी विशिटियां इसके नीचे लिखी अनुसूची में दी गई है, खरीद ली है।

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण में और पूर्वोक्त प्रतिफल के लिए उधार लेने वाला यह करार करता है कि वह पूर्वोक्त . . . . . रू0 (. . . . . .रूपए) की रकम या उसके उस अतिशेष का, जो इस विलेख की तारीख हो असंदत्त रह जाता है . . . . . .रूपए (. . . . . .रूपए) की समान किस्तों मे प्रत्येक मास के प्रथम दिन संदाय करेगा और तत्समय देय और शोध्य रह गई राशि पर उक्त नियमों के अनुसार संगणित ब्याज देगा, तथा उधार लेने वाला इस बात के सहमत है कि ऐसी किस्तें उक्त नियमो द्वारा उपबंधित रीति में उसके वेतन में से मासिक कटौतियां करके वसूल की जा सकेगी और उक्त करार के ही अनुसरण में उधार लेनेवाला मोटर यान का, जिसकी विशिष्टियां नीचे लिखी अनुसूची में उपवर्णित हैं, उक्तअग्रिम और उस पर ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त नियमों की अपेक्षानुसार राष्ट्रपति को समनुदेशन और अन्तरण करता है।

उधार लेने वाला यह करार करता है और यह धोषण करता है कि उसने उक्त मोटर यान की पूरी कीमत दे दी है और वह उसकी आत्यंतिक सम्पत्ति है उसने उसे गिरवी नहीं रखा है और जब तक उक्त अग्रिम के संबंध में कोई धनराशि राष्ट्रपति को संदेय रहती है तब तक वह मोटर यान को न तो बेचेगा, न उसमें अपने स्वत्व या कब्जे को छोड़ेगा।

यह भी करार किया जाता है घोषण की जाती है कि यदि मूलधन की उक्त किस्तों में से कोई किस्त या ब्याज देय हो जाने के पश्चात् दस दिन के भीतर पूर्वोक्त रूप में नहीं दे दिया जाता है या वसूल नहीं कर लिया जाता है यदि उधार लेने वाले की मृत्यु हो जाती है या वह किसी भी समय अपना पद छोड़ देता है या अन्यथा विपक्षी नेता नहीं रहता हे अथवा यदि उधार लेने वाला उक्त मोटर यान को बेच देता है या गिरवी रख देता है या उसमें अपने स्वत्व या कब्जे को छोड़ देता है अथवा वह दिवालिया हो जाता है या अपने लेनदारों के साथ कोई समझौता या ठहराव कर लेता है अथवा यदि कोई व्यक्ति उघार लेने वाले के खिलाफ किसी ब्रिक्री या निणर्य के

निष्पादन में कायर्वाही आरंभ करता है तो उक्त मूलधन की पूरी रकम जो उस समय देय हो किन्तु जिसका संदाय न किया गया हो, पूर्वोक्त रूप मे संगणित ब्याज सहित तुरन्त संदेय हो जाएगी;

और इसके द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि इसमें पूर्व उल्लिखित घटनाओं में से किसी के होने पर राष्ट्रपति उक्त मोटर यान अभिग्रहण कर सकेंगे और उसका कब्जा ले सकेंगे तथा या तो उसकों हटाए बिना उस पर कब्जा रख सकेंगें या उसे हटा सकेंगें और सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राइवेट संविदा द्वारा उक्त मोटर यान को बेच सकेगे तथा बेचने से प्राप्त रकम में ले उक्त उधार का उस समय शेष भाग और पूर्वोक्त रूप में संगाणित और देय कोई ब्याजऔर इसके अधीन अपने अधिकारों को बनाए रखने, उनकी रक्षा या उन्हें प्राप्त करने में उचित रूप से किए सब खर्च, प्रभार, व्यय और संदाय अपने पास रख सकेंगे, तथा यदि कोई रकम शेष रहती है तो उसे उधार लेने वाले उसके निष्पादकों, प्रशासकों या वैयक्तिक प्रतिनिधियों को दे देंगे;

परन्तु उक्त मोटर यान का कब्जा लेने या उसको बेचने की पूर्वोक्त शक्ति से, उधार लेने पर या उसके वैयाक्तिक प्रतिनिधियों पर उक्त शेष रकम और ब्याज के लिये, अथवा यदि मोटर यान बेच दिया जाता है तो उतनी रकम के लिए राष्ट्रपति के बाद लाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितनी से बेचने से प्राप्त शुद्व आगम देय रकम से कम पड़े;

तथा उधार लेने वाला यह भी करार करता है कि जब कोई धनराशि राष्ट्रपति को देय हो और बाकी रहे, तब तक उधार लेने वाला उक्त मोटर यान का अग्नि, चोरी या दुर्धटना से हानि या नुकसान के लिए किसी बीमा कंमनी में, जो संबंधित लेखा अधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाए, बीमा कराएगा और उसे चालू रखेगा तथालेखा अधिकारी के समाधानप्रद रूप में इस बात का साक्ष्या पेश करेगा कि उक्त मोटर बीमा कंपनी को, जिसमें उक्त मौटर यान का बीमा कराया गया है यह सूचना मिल चुकी है कि उसकी पालिसी से राष्ट्रपति हितबद्व है;

और उधार लेने वाला यह भी करार करता है कि वह उक्त मोटर यान को नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं करने देगा या लेने देगा अथवा उसमें उचित टूट-फूट से अधिक टूट-फूट नहीं होने देगा तथा यदि उक्त मोटर यान को कोई नुकसान पहुंचता है या उसके साथ कोई दुर्धटना होती है तो उधार लेने वाला उसकी तुरन्त मरम्मत कराएगा और ठीक करा लेगा।

अनुसूची

मोटर यान का वर्णन . . . .

निर्माता का नाम . . . .

वर्णन . . . .

सिलेण्डरों की संख्या . . . .

इंजन संख्या . . . .

चेसिस संख्या. . . . .

लागत कीमत . . . .

इसके साक्ष्यस्वरूप इसमें उपर लिखी तारीख को उक्त . . . . . (उधार लेने वाले का नाम) ने और भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से ... . ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

उक्त . . . .(उधार लेने वाले का नाम)
ने . . . .
(उधार लेने वाले के हस्ताक्षर और पदनाम)

(1). . .. . (साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
. . .. (साक्षी के हस्ताक्षर)

(2). . .. . (साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय),
. . .. (साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से
. . .. (नाम और पदनाम)
ने . . . .
(अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम)

(1) .. .. (साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
. . .. (साक्षी के हस्ताक्षर)

(2).. . . .. (साक्षी कानाम, पता और व्यवसाय),
. . .. (साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
उधार लेने वाले का नाम और पदनाम . . . .

प्ररूप ।।।

(नियम **9)**

बीमा पालिसियों में जोड़े जाने वाले खंड का प्ररूप

यह घोषण की जाती है और करार किया जाता है कि श्री .... (मोटर कार का स्वामी, जिसे इसमें इसके आगे इस पालिसी की अनुसूची में बीमाकृत कहा गया है) ने मोटर कार भारत के राष्ट्रपति को (जिन्हें इसमें इसके आगे सरकार कहा गया है) इन अग्रिमों के लिए प्रतिभूति के रूप में आडवान कर दी है, जो उस मोटर कार के खरीदने के लिए लिया गया है। यह भी घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि उक्त सरकार ऐसे धन में हितबद्व है जो यदि यह पृष्ठांकन न होता तो उक्त श्री.. .. .. (इस पालिसी के अधीन बीमाकृत) को उक्त मोटर कार की हानि या नुकसान की बाबत (जिस हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति, मरम्मत यथा पूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की गई है) संदेय होता और ऐसा धन सरकार को उस समय तक दिया जाएगा जब तक कि वे मोटर कार के बंधकदार है और उनकी रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि ऐसी हानि या नुकसान की बाबत कंपनी ने पूरा और अंतिम भुगतान कर दिया है।

2. इस पृष्ठांकन द्वारा अभिव्यक्त रूप के जो करार किया गया है उसके सिवाय उसकी किसी भी बात से बीमाकृत के या कंपनी के इस पॉलिसी के अधीन या संबंध में अधिकारों या दायित्वों का अथवा इस पॉलिसी के किसी निबंधन उपबंध या शर्त का न तो उपांतरण होगा और न उस पर प्रभाव पड़ेगा।

(सं0 14(2) 89 का. अ.)